http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 11/2017/745/52-3-2017-सा(2)/2015(पीलीभीत)

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 11 मई, 2017

विषयः-अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद पीलीभीत में बालक व बालिकाओं हेतु एक-एक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के लिये द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-2589/52-3-14-बजट (01)/2014 दिनांक 20.11.2014 द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजना लागू करते हुये योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 20 चयनित जनपदों में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक एक-एक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना अपेक्षित है।

2. उक्त योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा जनपद पीलीभीत में बालक व बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना के लिए निम्न प्रकार भूमि का अधिग्रहण किया गया है :

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्थान	खसरा प्लाट नं0	भूमि की उपलब्धता (हेक्टेयर में)
1	माडल इण्टर कालेज	ब्लाक अमरिया व ग्राम माधोपुर परगना जहानाबाद जनपद पीलीभीत	82 मि0	0.607 हेक्टेयर
2	माडल इण्टर कालेज	ब्लाक पूरनपुर ग्राम शेरपुरकला जनपद पीलीभीत	559/2	5000 वर्गमीटर

3. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पाँच माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के निर्देश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 द्वारा निर्गत किये गये है, जिसमें स्कैल्टन शीट में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत 05 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना में रू0 35000.00/- लाख का आंवटन किया गया है। जनपद पीलीभीत में जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा अधिग्रहीत की गयी उक्त भूमि पर बालक व बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक मॉडल इण्टर कालेज के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सी0एण्ड डी0एस0 (कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 लखनऊ) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा प्रत्येक माडल इण्टर कालेज के लिए (रू0

01,51,00,000 ः रू0 01,51,00,000) कुल धनराशि रू0 03,02,00,000/- (रू0 तीन करोड़ दो लाख मात्र) की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः

(1) मॉडल इण्टर कालेजों के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जिलाधिकारी पीलीभीत के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिसे उनके द्वारा शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0 डी0एस0 को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) मॉडल इण्टर कालेजों का निर्माण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टीमेट एवं डिजाइन के अनुरूप कराया जायेगा।

(3) निर्माण कार्य हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जायेगी तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

4. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्य -1/2017/बी 1-02/दस - 2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-745(1)/52-3-17-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन।
4- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन।
5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पीलीभीत।
6- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत।
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।
8- निदेशक, उ0प्र0 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0।
9- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (ई-11) अनुभाग/नियोजन -3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1(03 प्रतियों में)/बजट सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in